भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2510

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

ईपीएस-95 पेंशनभोगियों की मांग पर कार्रवाई

2510. श्री राजेश रंजन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सम्मानजनक राशि 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता करने और नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाओं सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 04.10.2016 और 04.11.2022 के निर्णयों के अनुसार पेंशन निर्धारण को लागू करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देशभर में लगभग 78 लाख ईपीएस-95 पेंशनभोगी अपनी वृद्धावस्था में गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और वर्षों से शांतिपूर्ण आंदोलनों के माध्यम से सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं तथा इस दौरान कई वृद्ध पेंशनभोगियों की मृत्यु हो गई, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति की मांगों पर कार्रवाई को तेज करेगी और चिकित्सा सुविधाओं के साथ पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन 7,500/- रुपये करने के लिए समय-सीमा तय करेगी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग) ईपीएस, 1995 एक परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (i) वेतन के 8.33% की दर पर नियोक्ता द्वारा योगदान; और (ii) 15,000/- रुपये प्रति माह की राशि तक वेतन के 1.16% की दर पर बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा योगदान से मिलकर बना है। योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान इस तरह के संचय से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के अधीन दिए गए अधिदेश के अनुसार इस निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार निधि के मूल्यांकन के अनुसार, इसमें बीमांकिक घाटा है।

जारी/-2

तथापि, सरकार बजटीय सहायता प्रदान करते हुए, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है। इसके अलावा, एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) ने ईपीएस, 1995 के अंतर्गत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया था और अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि निधि की बीमांकिक स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के अंतर्गत स्वीकार्य पेंशन को जीवन-यापन-लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है।

ईपीएफओ ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में निहित निदेशों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की है। एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई और अंतिम तारीख अर्थात् 11.07.2023 तक पेंशनभोगियों/सदस्यों द्वारा संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए कुल 17.49 लाख आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से लगभग 15.24 लाख आवेदन अंतिम तारीख अर्थात् 31.01.2025 तक नियोक्ताओं द्वारा ईपीएफओ को भेजे गए थे। दिनांक 24.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, ईपीएफओ में प्राप्त लगभग 99 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

*****